# कार्यालय प्राचार्य
## शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
रजबंधा मैदान, रायपुर फोन 0771 2222990

www.govtdentalcollegeraipur.in / Email-govdentalcollege@gmail.com (GST- 22JBPS02579D1D2)


क्रमांक / 4676 / जीडीसी / क्रय / 2025 रायपुर, दिनांक 26-11-25

**सुरक्षा कार्य संचालन हेतु जेम पोर्टल पर निविदा / बिड आमंत्रण सूचना**

**जेम बिड कमांक – GEM/2025/B/6935684, Date- 26.11.2025**

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के लिये **सुरक्षा कार्य** संचालन हेतु जेम पोर्टल पर बिड के माध्यम से निविदा (तकनीकि / वित्तीय बिड अलग–अलग) आंमत्रित किया गया है उपरोक्तानुसार बिड प्रपत्र जेम पोर्टल **www.gem.gov.in** पर **दिनांक 26 / 11 / 2025 से** दिनांक **08 / 01 / 2026, दोपहर 12 बजे तक** अपलोड किये जा सकते है।

बिड प्रपत्र में अंकित विवरण निविदा सूचना का अंश माना जावेगा और बिना किसी कारण बताये बिड निरस्त / संशोधन करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

अतः इच्छुक निविदाकार निर्धारित तिथि तक **जेम पोर्टल के माध्यम से** निविदा / बिड भर सकते है। निविदा नियम एवं शर्ते जेम पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है।

**GEM BID :- GEM/2025/B/6935684**

**DATE:- 26/11/2025**

26/11/25

प्राचार्य

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर

# कार्यालय प्राचार्य
# शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रजबंधा मैदान, रायपुर फोन 0771 2222990

www.govtdentalcollegeraipur.in / Email-govdentalcollege@gmail.com (GST- 22JBPS02579D1D2)


क्रमांक / 4676 / जीडीसी / क्रय / 2025 रायपुर, दिनांक 26-11-25

**/ / जेम पोर्टल के माध्यम से सुरक्षा सेवाएँ हेतु आमंत्रित निविदा के अंतर्गत आवश्यक नियम एवं शर्तें / /**

शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) बालक–बालिका छात्रावास तथा आवासीय परिसर एवं संस्थान की आवश्यकतानुसार अन्य स्थलों व कार्यालय में सुरक्षा सेवाएँ (Security Services) हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित किया जा रहा है, जिसके आवश्यक नियम एवं शर्त निम्नानुसार है : –

1. सेवा प्रदाता द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.), बालक–बालिका छात्रावास एवं आवासीय परिसर एवं संस्थान की आवश्यकतानुसार अन्य स्थानों की सुरक्षा तथा महाविद्यालय, चिकित्सालय के अधिकारी–कर्मचारी, छात्र–छात्राओं, मरीज और उनके परिजनों के चल अचल संपत्तियों, सामाग्रियों की 24x7 घंटे सुरक्षा सेवा प्रदाय करना अनिवार्य होगा। कुशल संचार व्यवस्था के लिए तैनात सुरक्षा कर्मचारी को सेवा प्रदाता द्वारा कम से कम 05 वॉकी–टॉकी हेतु, प्रदाय करना अनिवार्य होगा तथा उसके व्यय का वहन भी सेवा प्रदाता स्वयं करेगा। कर्तव्य के दौरान मोबाईल फोन का उपयोग (अतिआवश्यक अपरिहार्य एवं संक्षिप्त स्थिति को छोड़कर) पूर्णतः वर्जित रहेगा।
2. शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के लिए अनुलग्न–01 में दर्शित सुपरवाईजर एवं सुरक्षा गार्ड की संख्या अनुसार कर्मचारी प्रदान करना अनिवार्य है। आवश्यकतानुसार महिला एवं पुरूष कर्मचारीयों की संख्या अनुपातिक रूप से रखी जायेगी। नियुक्त समस्त सुरक्षा कर्मचारियों का स्वस्थ होना एवं हिन्दी, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान और शिष्ट होना अनिवार्य है। **सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाईजर की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि अथवा कमी किया जा सकता है।**
3. सुरक्षा सेवाएँ हेतु निविदा की वैधता अवधि अनुबंध निष्पादित दिनांक से आगामी 01 वर्ष तथा अनुमोदन उपरांत अधिकतम 02 वर्ष के लिए वैध रहेगा। प्राचार्य, शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर(छ.ग.), के निर्णय उपरांत आवश्यकतानुसार अनुबंध की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
4. सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध अनुसार **सुरक्षा सेवाएँ कार्य का संपादन, संतोषजनक नहीं पाये जाने पर** प्राचार्य, शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर द्वारा संबंधित **सेवा प्रदाता फर्म को 01 माह पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा** एवं निविदा में प्रस्तुत/जमा की गई सुरक्षा निधि राजसात कर काली सूची में शामिल करने की कार्यवाही की जावेगी एवं असंतोषजनक कार्य का उल्लेख संबंधित के अनुभव प्रमाण पत्र में किया जावेगा।
5. **अमानत राशि :–** निविदा के अंतर्गत प्री–क्वालिफिकेशन दस्तावेजों के साथ अमानत राशि रू. 02 लाख की डिमांड ड्राफ्ट, "प्राचार्य, शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)" के नाम पर हो एवं जो भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों जारी किया गया हो, तैयार कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। डीडी की फोटो स्केन कर दस्तावेज के साथ संलग्न करें। डीडी की मूलप्रति निविदा खोलने की तिथि के पूर्व जमा करना अनिवार्य है। कार्यालय में निविदा की अंतिम तिथि को प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत अमानत राशि रोककर शेष असफल निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अमानत राशि 01 माह में वापस कर दिया जावेगा।
6. **सुरक्षा निधि :** निविदा में पात्र सफल निविदादाता को शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के लिए कार्य–आदेश जारी करने के पूर्व सुरक्षा निधि कुल क्रय मूल्य का 05 प्रतिशत राशि की डिमांड ड्राफ्ट, जो राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया गया हो, "प्राचार्य, शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर" के नाम पर तैयार कर संबंधित संस्थान में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा निधि सफलतापूर्वक अनुबंध अवधि समाप्ति के तीन महीने पश्चात वापस कर दिया जावेगा।
7. सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध के तहत् अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित एवं सक्षम सुरक्षा कर्मचारियों को निर्धारित वर्दी (पोशाक, टोपी एवं जूता सहित), आई. डी. कार्ड, डंडे, सिटी, टार्च/सर्च लाईट, जैकेट, रैन कोट/छाता एवं अन्य आवश्यक किट सहित तैनात किया जाना अनिवार्य है। जिस पर होने वाले व्यय का वहन सेवा प्रदाता द्वारा किया जावेगा। (रंगीन छायाचित्र संलग्न करें)

8. सुरक्षा कर्मियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े ऐसे होने चाहिए कि वे उनके कुशल प्रदर्शन में बाधा न डालें। विशेष रूप से कपड़े ना तो बहुत टाईट और ना ही बहुत ढीले होने चाहिए, जिससे उनके चलने–फिरने या अंगों को मोड़ने में बाधा आए।

9. सफल निविदादाता द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र, पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज, वैध आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो सहित बायोडाटा **अनुलग्न–03** अनुसार उन्हें कार्य में लिये जाने के 10 दिवस पूर्व जमा करना अनिवार्य है एवं **उपरोक्त जानकारी संतोषजनक पाये जाने एवं अनुशंषित होने पर ही सुरक्षा कर्मचारी को कार्य पर रखा जावेगा, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।**

10. सफल निविदादाता द्वारा यदि तैनात सुरक्षा कर्मचारी को हटाकर किसी अन्य कर्मचारी को तैनात किया जाता है तो इसकी सूचना प्राचार्य, शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर को दिया जाना अनिवार्य होगा। प्रतिस्थापित सुरक्षा कर्मचारी को बिन्दु क्रमांक 09 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार रखा जावेगा।

11. प्रत्येक सुरक्षाकर्मी को सेवा प्रदाता द्वारा **फोटो पहचान पत्र** जारी किया जावेगा तथा फोटो पहचान पत्र ऐसे प्रारूप में जारी किया जाएगा जैसा कि क्रेता संगठन द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

12. सेवा प्रदाता द्वारा तैनात किए जाने वाले सुरक्षाकर्मी को इस संस्थान द्वारा अनुबंध के अंतर्गत परिसर में 02 से 03 दिवस के लिए सुरक्षा सेवाएँ हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदाय किया जावेगा तथा इस अवधि को अनुबंध के अंतर्गत भुगतान हेतु सेवा अवधि के रूप में गणना नहीं किया जाएगा।

13. कोई भी व्यक्ति जिसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो या जिसे संघ, राज्य पुलिस संगठन, केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी सशस्त्र बल में या किसी निजी सुरक्षा एजेंसी में सेवा करते समय कदाचार या नैतिक पतन के आधार पर बर्खास्त या हटाया गया हो, सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित या नियुक्त नहीं किया जाएगा।

14. सफल निविदादाता द्वारा शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को आपातकालीन परिस्थिति में आवश्यक अतिरिक्त मैनपॉवर 02 से 03 दिवस के भीतर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

15. **समस्त सुरक्षा कर्मी की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष के बीच तथा शारीरिक मापदण्ड एवं फिटनेश PSARA अधिनियम के अनुसार होना अनिवार्य है।** सुरक्षा कर्मचारियों का आचरण अच्छा एवं कार्य में प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। आवश्यक स्थानों पर महिला सुरक्षा कर्मचारी तैनात करना अनिवार्य है। सुरक्षा एजेंसी केवल ऐसे मानव शक्ति को नियुक्त करेगी, जिसने अपने चरित्र के बारे में सेवा प्रदाता को संतुष्ट कर दिया हो और निर्धारित सुरक्षा प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो।

16. सेवा प्रदाता के पास **PSARA 2005** के तहत छत्तीसगढ एवं अन्य से मान्यता प्राप्त अपना स्वयं का प्रतिष्ठान/सेट अप/ तंत्र/प्रशिक्षण संस्थान होना चाहिए अथवा **PSARA** 2005 के तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ गठजोड़ होना चाहिए ताकि सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके एवं उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके। केवल ऐसे सुरक्षाकर्मी जो प्रशिक्षित है और प्रमाण पत्र रखते हों, उन्हें **PSARA** अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम में निर्धारित अनुबंध पाठ्यक्रम के तहत तैनात किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण न्यूनतम अवधि के लिए होगा जैसा कि **PSARA 2005** अधिनियम और विस्तृत प्रशिक्षण के संदर्भ में निर्दिष्ट है, हालांकि, भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व पुलिस कर्मियों को केवल संक्षिप्त पाठ्यक्रम में भाग लेना आवश्यक होगा।

17. सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि तैनात सुरक्षा कर्मी यदि **PSARA 2005** अधिनियम में निर्दिष्ट शारीरिक फिटनेस के मानकों को पूरा करते हैं तो सुरक्षा कर्मी के रूप में नियुक्त करने या रोजगार के लिए पात्र माना जाएगा। सेवा प्रदाता एजेंसी को अपने कर्मचारियों की एजेंसी में भर्ती के समय उनकी मेडिकल जांच करानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सौंपे गए कार्य के लिए स्वस्थ हैं और पीएसएआरए (**PSARA**) के तहत निर्धारित अनुसार वार्षिक मेडिकल जांच करानी चाहिए। इसका रिकार्ड सुरक्षा कर्मियों की व्यक्तिगत फाईल में रखा जाएगा। यदि क्रेता संस्थान उनके संगठन में तैनाती के समय मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रति मांगता है तो उसे दिया जाएगा।

18. सेवा प्रदाता द्वारा शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.), बालक–बालिका छात्रावास एवं आवासीय परिसर के अधिकारी–कर्मचारी, छात्र–छात्राओं, मरीजों और उनके परिजनों तथा उनके

चल–अचल संपत्तियों, सामाग्रियों की चोरी या नुकसान होने की सूचना प्राचार्य, शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के कार्यालय को तत्काल लिखित सूचना के साथ पुलिस विभाग को निविदादाता द्वारा देना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय के परामर्श से पुलिस को मामले की रिपोर्ट करने एवं एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए सेवा प्रदाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त मामलों के त्वरित निपटान हेतु तार्किक और कानूनी निष्कर्ष के लिए पुलिस के साथ अनुवर्ती कार्यवाही करेगा।

19. पुलिस जांच अनुसार यदि चोरी/हानि सेवा प्रदाता के सुरक्षा कर्मचारियों के मिलीभगत/लापरवाही के कारण हुई है तो सेवा प्रदाता शा. दन्त चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.) में हुई चोरी/हानि की क्षतिपूर्ति का वहन उनके द्वारा प्रस्तुत/जमा सुरक्षानिधि राशि से किया जावेगा।

20. **सेवा प्रदाता द्वारा तैनात किये जाने वाले सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाईजर के रूप में स्थानीय/छत्तीसगढ़ राज्य के व्यक्तियों को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।**

21. शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) द्वारा सुरक्षा कर्मचारियों हेतु आवश्यक फर्नीचर, सेवा प्रदाता को प्रदान किया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रदान किए गए फर्नीचर को एक पृथक रजिस्टर में इंद्राज किया जायेगा। अनुबंध समाप्ति पश्चात उक्त प्रदाय किए गए फर्नीचर को यथास्थिति में वापस करना अनिवार्य होगा। यथास्थिति में फर्नीचर वापस नहीं करने पर फर्नीचर के मूल्य की वसूली सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत/जमा सुरक्षा निधि राशि से की जावेगी।

22. **सुरक्षा कर्मचारी सेवा प्रदाता के प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं देखरेख के अधीन रहेंगें।** प्रतिदिन शा. दन्त चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय परिसर एवं समस्त तलो के विद्युत उपकरण (लाईट एवं पंखे) चिकित्सालय एवं कार्यालय समाप्ति पश्चात् बंद करने का कार्य एवं सुरक्षा संबंधित कार्यो को बाधित किये बिना सुगमता पूर्वक अपनी सेवाऍं देंगें ।

23. सेवा प्रदाता द्वारा अपने सुरक्षाकर्मी के अभिलेख जैसे–उपस्थिति पत्रक, अवकाश संबंधी अभिलेख, वेतन पर्ची इत्यादि का लेखा–जोखा रखना अनिवार्य है जो आवश्यक होने पर शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को निरीक्षण/जांच के लिए उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

24. सेवा प्रदाता द्वारा तैनात समस्त **सुरक्षा कर्मी की उपस्थिति हेतु "बायोमेट्रीक अटेंडेंस डिवाईस" का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा एवं उक्त बायोमेट्रीक अटेंडेंस डिवाईस उपस्थिति पत्रक अनुसार ही सेवा प्रदाता को भुगतान किया जावेगा।** उक्त बायोमेट्रीक अटेंडेंस डिवाईस सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं के व्यय पर संस्था प्रमुख द्वारा महाविद्यालय के चिन्हित स्थानों पर स्थापित कर संचालित किया जाना है।

25. सेवा प्रदाता द्वारा तैनात किए गए सुरक्षा कर्मचारियों के उपस्थिति दर्ज किए गए बायोमेट्रीक उपस्थिति पत्रक एवं दैनिक उपस्थिति रजिस्टर को शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के अधीनस्थ सुरक्षा शाखा के प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है और इसे मजदूरी/वेतन भुगतान के लिए अंतिम अभिलेख/रिकार्ड माना जाएगा।

26. सेवा प्रदाता द्वारा तैनात समस्त सुरक्षा कर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अनुबंध अनुसार सभी आवश्यक नियम एवं शर्तों का पालन करेंगे तथा समस्त आवश्यक सावधानी बरतते हुए, उचित एवं विवेकपूर्ण कार्य और समस्त जनों से शिष्टतापूर्ण व्यवहार करेंगे।

27. सेवा प्रदाता को अपने अधीनस्थ सुरक्षा कर्मचारियों को वेतन भुगतान उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जाना है। जिसमें से EPF, ESIC के कर्मचारी अंश को संबंधित कर्मचारी के EPF, ESIC खाते मे जमा करते हुए शेष वेतन का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाना अनिवार्य है एवं Challan & Confirmation of Payment की सत्यापित छायाप्रति देयक के साथ जमा करना अनिवार्य है।

28. सेवा प्रदाता को अनुबंध के तहत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए समय–समय पर लगने वाले आवश्यक जीवित/वैध प्रमाण पत्र, संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा। **सेवा प्रदाता अपने अधीनस्थ सुरक्षा कर्मी को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी/वेतन, कर, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. के भुगतान, अन्य वैधानिक आवश्यकताओं एवं समय–समय पर समस्त आर्थिक दायित्वों के पालन के लिए जिम्मेदार होगा।** सेवा प्रदाता के विफलता के लिए, शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा एवं किसी भी विफलता के लिए महाविद्यालय द्वारा दण्डित किया जा सकता है एवं विफलता का समाधान भी सेवा प्रदाता को ही स्वयं करना होगा।

(3)

29. सेवा प्रदाता को महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी किए गए समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

30. सेवा प्रदाता द्वारा सुरक्षा कर्मचारियों को यदि **प्रतिमाह वेतन, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. का भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित फर्म द्वारा जमा सुरक्षा निधि राजसात करते हुए काली सूची में शामिल कर, अनुभव प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख किया जावेगा** एवं कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

31. निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत न्यूनतम दर प्रदायकर्ता फर्म से अनुबंध निष्पादित कर दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने **पश्चात्** ही "शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर" हेतु कार्य–आदेश जारी किया जावेगा एवं जारी कार्य–आदेशानुसार माह के **प्रथम 07 दिवस के भीतर** देयक, "प्राचार्य, शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर" के नाम से तैयार कर प्रति माह प्रस्तुत किया जाना होगा। प्रस्तुत देयक के साथ पिछले माह के वेतन, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. भुगतान की पुष्टि के रसीद/चालान की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

32. सेवा प्रदाता को "शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर" कार्यालय द्वारा किसी कारणवश समय पर भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में सेवा प्रदाता को उनके द्वारा नियोजित समस्त सुरक्षा कर्मी को प्रति माह समय पर भुगतान करना अनिवार्य है।

33. कार्य प्रारंभ के प्रथम माह के वेतन देयक को छोड़कर आगामी माह के वेतन देयक प्रस्तुत करते समय सुरक्षा कर्मी को पूर्व महीने में किए गए भुगतान की निम्नानुसार सारणी में आवश्यक जानकारी सहित अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा –

| क्रं. | कर्मचारी का नाम | पिता का नाम | बैंक शाखा का नाम | खाता क्रमांक | भुगतान किये जाने वाले कुल वेतन | कटौती का विवरण (EPF) | | कटौती का विवरण (ESIC) | | खाते में जमा किए जाने वाले वेतन [06-(07+09)] | सेवा प्रदाता को · इस कार्यालय द्वारा दी गई जीएसटी राशि के भुगतान के चालान की प्रति जमा करना होगा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | कर्मचारी का अंशदान 12 % | नियोक्ता का अंशदान EPF: 3.67 % EPS: 8.33% EPF Admin Charge : 0.5% EDLI : 0.5% | कर्मचारी का अंशदान 0.75 % | नियोक्ता का अंशदान 3.25 % | | |
| *01* | *02* | *03* | *04* | *05* | *06* | *07* | *08* | *09* | *10* | *11* | *12* |

34. सेवा प्रदाता द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मी को 08 घण्टें के **तीन शिफ्ट/पाली** में (भोजन अवकाश सहित) काम किया जाना है एवं कार्यरत समस्त सुरक्षा कर्मी को श्रम नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश की पात्रता होगी।

35. **छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अनुसार कर्मचारी को नियोजित करना एवं मजदूरी/वेतन भुगतान की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।** विभिन्न श्रम और अन्य कानूनों में निर्दिष्ट संबंधित समस्त वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य है।

36. सेवा प्रदाता द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को विभिन्न वर्ग के लिए न्यूनतम मासिक मजदूरी/वेतन का भुगतान कार्यालय, श्रमायुक्त जिला–रायपुर (छ.ग.) द्वारा निर्धारित " जोन 'अ' " एवं श्रमिकों के वर्ग अनुसार देय होगा, जिसका पुनरीक्षण समय–समय पर कार्यालय, श्रमायुक्त जिला–रायपुर (छ.ग.) द्वारा जारी आदेशों के अधीन होगा तथा उक्त दर पर ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. का शासन द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान किया जावेगा। सुरक्षा कर्मी को भुगतान न होने संबंधी किसी भी प्रकार के शिकायत प्राप्त होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।

37. सेवा प्रदाता द्वारा तैनात सुरक्षाकर्मी अनुबंध की अवधि के दौरान या उसके बाद नियमित/स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं का दावा नहीं करेंगे और न ही इसके हकदार होंगे।

क्रेता कार्यालय किसी भी तरह से कर्मचारी या सेवा द्वारा, उस समय लागू किसी भी नियम या किसी अन्य कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कर्मचारी और सेवा प्रदाता दोनों ही वर्तमान में लागू प्रासंगिक नियमों और विनियमों का पालन करेंगे, जिसके लिए क्रेता विभाग किसी भी तरह से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा। **सभी कानूनों/अधिनियमों/नियमों के अनुपालन का दायित्व केवल सेवा प्रदाता का होगा।**

38. **सुरक्षा कर्मियों द्वारा परिसर में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब एवं इत्यादि मादक पदार्थों को सेवन करना पूर्णता निषेध है ।**

39. सेवा प्रदाता द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही, हिंसा, नशीले पदार्थ (तंबाकु, गुटखा, सिगरेट, शराब इत्यादि) का सेवन, अधिकारी–कर्मचारी, छात्र–छात्राओं, मरीज एवं उनके परिजन से दुर्व्यवहार, असामाजिक कृत्य करते पाये जाने पर संबंधित सुरक्षा कर्मचारियों को तत्काल हटाना अनिवार्य होगा एवं सुरक्षा कर्मी द्वारा किये गये गलत कृत्यों हेतु सुरक्षाकर्मी एवं निविदादाता स्वयं जिम्मेंदार होंगे। सेवा प्रदाता के किसी तैनात सुरक्षा कर्मी, महाविद्यालय प्रबंधन अथवा किसी भी बाहरी व्यक्ति के शराब के नशे का संदिग्ध पाये जाने की स्थिति की, जांच हेतु सेवा प्रदाता अपने स्वयं के व्यय पर एक एल्कोहल ब्रिथिंग एनालाईजर मशीन सुपरवाईजर को उपयोग किये जाने का प्रशिक्षण सहित प्रदान करना अनिवार्य होगा, जिसका आवश्यक्ता पड़ने पर सेवा प्रदाता के अधिकृत सुपरवाईजर, महाविद्यालयीन प्रभारी अधिकारी के साथ उपयोग करेंगे।

40. **सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मचारी किसी भी कर्मचारी संघ/एसोसिएशन, हड़ताल, धरना प्रदर्शन, नारे–बाजी, गुटबाजी इत्यादि में शामिल/भाग नहीं लेगें।** संबंधित कार्यो से उत्पन्न होने वाली किसी समस्या के निवारण हेतु पहले सेवा प्रदाता अपने स्तर पर तदपश्चात संबंधित प्रभारी अधिकारी–सुरक्षा से संपर्क किया जाना होगा। वाद–विवाद की स्थिति में सेवा प्रदाता का सुपरवाईजर एवं प्रभारी अधिकारी, संस्था प्रमुख के समक्ष उचित माध्यम से अपनी समस्या रख सकते है। सुरक्षा गार्ड सीधे तौर पर महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी–कर्मचारी/चिकित्सक के समक्ष अपनी समस्या नहीं रखेंगे।

41. सेवा प्रदाता, महिला/पुरूष सुरक्षा गार्ड/सुरक्षा सुपरवाईजर की आवश्यकतानुसार आपूर्ति करेगा। "प्राचार्य, शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर" को सेवा प्रदाता द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मी की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि एवं कमी किया जा सकता है। मैनपॉवर की तैनाती में किसी भी बदलाव की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा पूर्व लिखित सूचना दी जाएगी एवं प्राप्त लिखित सूचना के 02 से 03 दिवस के भीतर आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

42. सुरक्षा कर्मी को कर्तव्य के दौरान आई.डी. कार्ड को गले में पहन कर रखना अनिवार्य होगा एवं सुरक्षा कर्मी द्वारा सेवा छोड़ने, उनको सेवा से हटाने/निष्कासित करने पर आई.डी. कार्ड को जब्त करने की समस्त जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी एवं इसकी सूचना महाविद्यालय को करना अनिवार्य है।

43. सेवा प्रदाता द्वारा रिकार्ड हेतु उपयोग में लाये जाने वाले समस्त रजिस्टर, रिकार्ड, शासकीय कार्य/आडिट इत्यादि के लिए आवश्यकता होने पर शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के अधिकारियों को सफल निविदादाता द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रति, निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि सेवा प्रदाता के रिकार्ड/अभिलेखों में कुछ कमियॉ पायी जाती है तथा कमियों का निराकरण हेतु महाविद्यालय के प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाता है तो सेवा प्रदाता को समय–सीमा पर वैधानिक आवश्यकता का पालन करना होगा।

44. सुरक्षा कर्मियों को सेवा प्रदाता द्वारा किए गए किसी भी प्रकार की अग्रिम भुगतान/कटौती के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में शा. दंत चिकि. महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.) का कोई दायित्व नहीं होगा, संपूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार के मौखिक या लिखित पत्राचार पर महाविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

45. माह के कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रस्तुत देयक के अंतर्गत सर्विस चार्ज राशि में से आवश्यकतानुसार कटौती किया जावेगा, जिसके लिए सेवा प्रदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

46. सुरक्षा कर्मचारी के अवकाश/अनुपस्थित होने की स्थिति में एजेंसी ऐसी अनुपस्थिति की भरपाई के लिए तत्काल उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। ऐसी परिस्थिति में सेवा प्रदाता अवकाश में रहने वाले सुरक्षा कर्मी के स्थान पर रिजर्व सुरक्षा कर्मी प्रदाय करना अनिवार्य होगा। इसके लिए पृथक से भुगतान नहीं किया जावेगा।

47. **सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं के व्यय पर 03 सुरक्षा सुपरवाईजर प्रदाय करना होगा जो महाविद्यालय एवं परिसर में सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी रोस्टर अनुसार उपलब्धता और तैनाती सुनिश्चित करेगा एवं सुरक्षा गार्ड द्वारा दी जाने वाली सेवाऐं/कर्तव्यों की प्रतिदिन 24x7 घण्टे निगरानी करेगा एवं जानकारी सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को देगा।**

48. **सेवा प्रदाता के वरिष्ठ स्तर का एक प्रतिनिधि**, महाविद्यालय एवं परिसर में सुरक्षाकर्मी की तैनाती संबंधी सप्ताहिक/मासिक ड्यूटी रोस्टर तैयार कर उपलब्ध करायेगा एवं सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाऐं/कर्तव्यों की निगरानी कर समीक्षा करेगा तथा इस संबंध में प्राचार्य, दंत चिकित्सा महाविद्यालय

(5)

5

रायपुर (छ.ग.) से चर्चा, वार्ता कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा एवं सुरक्षाकर्मी द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ/कर्तव्यों में यदि कोई कमियाँ पाई जाती है तो उसका निराकरण करेगा।

49. **सेवा प्रदाता को कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के अंतर्गत सपोर्ट सर्विस में सिक्योरिटी सर्विस संबंधी दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।**

50. चिकित्सालय में तैनात किये जाने वाले **सुरक्षागार्ड में से 08 सुरक्षागार्ड को सीसीटीवी कंट्रोल रूम में मॉनिटर संचालन करने हेतु प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा, ताकि सीसीटीवी कंट्रोल रूम में 24x7 घण्टे निगरानी कर कार्यरत सुरक्षाकर्मी को वॉकी टॉकी द्वारा सचेत कर परिसर में होने वाली चोरी, हानि, दुर्घटना एवं शासकीय संपत्ति को नुकसान होने से रोका जा सके।**

51. कार्यादेश जारी पश्चात सेवा प्रदाता द्वारा कार्य करने से अस्वीकार किया जाता है तो, उनके द्वारा जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राजसात कर काली सूची में शामिल करने की कार्यवाही की जाएगी।

52. सेवा प्रदाता को निम्न एवं अन्य आवश्यक कानून/अधिनियम/नियम जो लागू हो, का पालन करना अनिवार्य है –
    1. मजदूरी अधिनियम 1936 का भुगतान
    2. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952
    3. अनुबंध श्रम (विनियमन) अधिनियम 1970
    4. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948
    5. बाल रोजगार अधिनियम 1938
    6. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
    7. निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम 2005
    8. विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
    9. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960
    10. अन्य आवश्यक समस्त सुसंगत कानून, अधिनियम और नियम

53. सेवा प्रदाता द्वारा निविदा के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं अनुज्ञप्ति/लाइसेंस जीवित (वैध) होना अनिवार्य है। दस्तावेज एवं अनुज्ञप्ति/लाइसेंस की वैधता, अनुबंध अवधि में समाप्त होती है तो, समाप्ति के अगले दिवस नवीनीकरण दस्तावेज एवं लाईसेंस इस संस्थान को उपलब्ध कराना अनिवार्य है अन्यथा आदेश एवं अनुबंध निरस्त माना जावेगा एवं सुरक्षानिधि राजसात करते हुए काली सूची में शामिल करने की कार्यवाही की जाएगी।

54. आमंत्रित निविदा को प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.) द्वारा बिना कोई कारण बताये किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं तत्संबंध में सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

55. कार्यालय द्वारा निविदा में दर्शाये गए नियम एवं शर्त तथा जेम पोर्टल के नियम एवं शर्त के बीच भिन्नता की स्थिति होती है तो इस कार्यालय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों को अधिमान्यता दी जावेगी।

56. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में 'प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)' का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

57. न्यायालयीन वाद–विवाद की स्थिति में प्रकरण जिला– रायपुर (छत्तीसगढ़) न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

58. निविदा के अंतर्गत तकनीकी एवं फाईनेंसियल बिड में सफल/असफल सेवा प्रदाता को किसी भी प्रकार का पत्राचार एवं उनके द्वारा प्रेषित पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

59. सेवा प्रदाता फर्म के पास कानूनी दर्जा होना चाहिए, चाहे वह कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत स्वामित्व फर्म/साझेदारी फर्म/कंपनी हो, कानूनी इकाई हो, ऐसी गतिविधि करने के लिए सभी वैधानिक लाईसेंस/पंजीकरण हो एवं आयकर के लिए पंजीकरण हो।

60. **सफल निविदादाता को कार्य अनुबंध पश्चात 15 दिवस के भीतर वैध श्रम अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

61. निविदादाता द्वारा श्रम नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में बाल श्रमिक स्वीकार नहीं किया जायेगा।

62. लेबर लॉ, टैक्सेस, आयकर, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., किसी भी प्रकार के पुलिस प्रकरण इत्यादि के लिए सेवा प्रदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

63. सेवा प्रदाता द्वारा श्रम एवं सामग्री की आवश्यकता के आकलन/अवलोकन एवं कार्य को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने हेतु शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) का पूर्व निरीक्षण किया जा सकता हैं। (कार्यस्थल का निरीक्षण करने हेतु संस्था को सूचित करना एवं अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।)

64. प्राचार्य, शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर, को सेवा प्रदता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/प्रमाण पत्र/जानकारी/विवरण को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने/कराने का अधिकार होगा।

65. प्राचार्य, दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर की पूर्व लिखित सहमति के बिना, अनुबंध या उसके किसी भी प्रावधान या उसके संबंध में निविदा से संबंधित किसी भी जानकारी का प्रगटीकरण सेवा प्रदाता द्वारा उनके अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य फर्म/कंपनी/एजेंसी को नहीं करेगा।

66. सेवा प्रदाता द्वारा तैनात सुरक्षाकर्मी द्वारा लापरवाही बरतने की स्थिति में, प्राचार्य, शा. दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.) के पास अनुबंध को तत्काल समाप्त करने अथवा कोई अन्य कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

67. सेवा प्रदाता द्वारा सुरक्षा कर्मियों को सेवा में रखे जाने के पूर्व पुलिस रिकार्ड/पूर्ववृत्त का सत्यापन स्थानीय पुलिस प्राधिकरण से कराया जाएगा तत्पश्चात् विपरीत टिप्पणी होने पर तत्काल सेवा से पृथक किया जावेगा ।

68. सेवा प्रदाता को अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सभी कानूनी आवश्यकताओं को अपने स्वयं के व्यय पर पालन करना होगा, यह आवश्यकता सभी प्रासंगिक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संगठन के लिए नियोजित व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करेगी।

69. क्रेता विभाग, सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को कार्य/कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान होने वाली किसी भी वित्तीय हानि या चोट के लिए या किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए, जिम्मेदार नहीं होगा।

70. सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मी, उसें सौंपे गए कार्य के संबंध में ऐसी नियुक्ति के दौरान प्राप्त की गई कोई भी जानकारी क्रेता संगठन के अलावा किसी अन्य को या क्रेता संगठन द्वारा निर्देशित किसी व्यक्ति को नहीं बताएगी। हालांकि PSARA 2005 अधिनियम के तहत या पुलिस विभाग द्वारा किसी पूछताछ या जांच के संबंध में या किसी प्राधिकरण या कानून की प्रक्रिया द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण को इससे छूट दी जाएगी।

71. सेवा प्रदाता द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मी को मासिक भुगतान की गई राशि का विवरण चेक नंबर या बैंक हस्तांतरण विवरण और तारीख तथा उस बैंक खाते के साथ प्रस्तुत करना होगा जिससे भुगतान किया गया है। सेवा प्रदाता एजेंसी को क्रेता विभागों द्वारा मांगे जाने पर भुगतान की गई राशि के समर्थन में बैंक स्टेटमेंट की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

72. यदि सेवा प्रदाता द्वारा मासिक बिल प्रस्तुत करने में उस माह के अंतिम दिन से 15 दिन से अधिक का बिलंब किया जाता है जिसमें सेवाएं प्रदान की गई हैं, तो कर प्राधिकारियों को ब्याज/जुर्मानें के भुगतान की संपूर्ण दायित्व संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा वहन की जाएगी।

73. सेवा प्रदाता को, सुरक्षा सेवाओं के लिए न्यूनतम सेवा शुल्क 01 प्रतिशत निर्धारित किया गया है एवं सेवा शुल्क का प्रतिशत पूर्णांक में होगा।

74. सेवा प्रदाता द्वारा तैनात सुरक्षाकर्मी के संबंध में कोई भी चिकित्सा सुविधा या प्रतिपूर्ति या किसी भी प्रकार के चिकित्सा दावे शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.) द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

75. निविदा में भाग लेने वाले दो या दो से अधिक फर्म/एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दर एक--सामान पाया जाता है, तो L-1 दर का निर्धारण जेम पोर्टल में उल्लेखित प्रक्रिया Run L-1 Selection के माध्यम से किया जावेगा।

76. सुरक्षा सेवाएँ में किसी भी प्रकार की कमी, अनियमितता या नियमो का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित सुरक्षाकर्मी एवं सेवा प्रदाता कंपनी/फर्म के विरूद्ध **निम्नानुसार पेनाल्टी/जुर्माना** लगाया जावेगाः

(7)

| क्रं. | विवरण | पेनाल्टी/जुर्माना |
|---|---|---|
| 1 | सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित संख्या में सुरक्षा गार्ड, सुपरवाईजर उपलब्ध कराना अनिवार्य है एवं अनुपस्थित रहने पर यदि सेवा प्रदाता उसके स्थान पर अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराने में विफल रहता है। | **प्रथम दिन :–** राशि रू. 1000 प्रति कर्मचारी प्रति शिफ्ट अनुसार।<br>**द्वितीय दिन :–**राशि रू. 2500 प्रति कर्मचारी प्रति शिफ्ट अनुसार।<br>**तृतीय दिन :–** राशि रू. 5000 प्रति कर्मचारी प्रति शिफ्ट अनुसार। |
| 2 | सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा उपचार हेतु चिकित्सालय में आये किसी भी मरीज या परीजन तथा अन्य आगन्तुक या संस्था के अधिकारी–कर्मचारी से किसी भी तरह के रिश्वत की मांग की जाती है तो | **प्रथम बार :** सुरक्षाकर्मी के उस दिन के मजदूरी/वेतन की कटौती की जावेगी तथा संबंधित सुरक्षाकर्मी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही सेवा प्रदाता द्वारा करना अनिवार्य है तथा सेवा प्रदाता से राशि रू. 10000 जुर्माना लिया जावेगा।<br>**द्वितीय बार :** सुरक्षाकर्मी के उस दिन के मजदूरी/वेतन की कटौती की जावेगी तथा संबंधित सुरक्षाकर्मी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही सेवा प्रदाता द्वारा करना अनिवार्य है तथा सेवा प्रदाता से राशि रू. 20000 जुर्माना लिया जावेगा।<br>**तृतीय बार :** सुरक्षाकर्मी के उस दिन के मजदूरी/वेतन की कटौती की जावेगी तथा संबंधित सुरक्षाकर्मी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही सेवा प्रदाता द्वारा करना अनिवार्य है तथा सेवा प्रदाता से राशि रू. 50000 जुर्माना लिया जावेगा। |
| 3 | रात्रीकालिन सुरक्षा कर्मचारी के पास टॉर्च लाईट/सर्च लाईट नहीं होनें पर। | सुरक्षा कर्मचारी के पास टार्च/सर्च लाईट नहीं होने पर प्रति कर्मचारी प्रति शिफ्ट के लिए राशि रू. 100/– का पेनाल्टी लगाया जावेगा। |
| 4 | सुरक्षा कर्मचारी के पास बारिश के मौसम में रेन कोट/छाता नहीं होने पर। | बारिश/वर्षा होनें की स्थिति में सुरक्षाकर्मी के पास रेन कोट /छाता होना अनिवार्य है अन्यथा सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत देयक से प्रति कर्मचारी प्रति शिफ्ट के लिए राशि रू. 100/– का पेनाल्टी लगाया जावेगा। |
| 5 | सुरक्षा कर्मचारी द्वारा जूता नहीं पहने जाने पर। | सुरक्षा कर्मचारी द्वारा जूता नहीं पहने जाने पर राशि रू. 200 प्रति कर्मचारी प्रति शिफ्ट अनुसार सर्विस प्रदाता द्वारा प्रस्तुत देयक से पेनाल्टी लिया जावेगा। |
| 6 | सुरक्षा कर्मचारी के पास छड़ी/डंडे नहीं रखने पर। | छड़ी/डंडे नहीं रखे जाने पर राशि रू. 100 प्रति कर्मचारी अनुसार, सर्विस प्रदाता द्वारा प्रस्तुत देयक से पेनाल्टी लिया जावेगा। |
| 7 | सुरक्षा कर्मचारी के पास सर्दी के मौसम में स्वेटर/जैकेट नहीं रहने पर। | कर्मचारी द्वारा सर्दी के मौसम में स्वेटर/जैकेट लगाना अनिवार्य है अन्यथा सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत देयक से राशि रू. 100/– प्रति कर्मचारी अनुसार पेनाल्टी लगाया जावेगा। |
| 8 | सुरक्षा कर्मचारी को कैप/टोप नहीं लगाये जाने पर। | कर्मचारी द्वारा कैप लगाया जाना अनिवार्य है अन्यथा राशि रू. 50 प्रति कर्मचारी अनुसार सर्विस प्रदाता द्वारा प्रस्तुत देयक से पेनाल्टी लिया जावेगा। |
| 9 | महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर पर वाहन की चोरी होने पर। | महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के कर्मचारी, मरीज एवं उनके परीजन के वाहन चोरी होने पर सेवा प्रदाता द्वारा जमा सुरक्षा निधि राशि से नियमानुसार वाहन का मूल्य अवक्षयण उपरांत मूल्य का भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा किया जावेगा। |
| 10 | महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर पर वाहन के पार्ट्स अथवा वाहन के ईंधन की चोरी होने पर। | महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के कर्मचारी, मरीज एवं परीजन के वाहन का ईंधन चोरी होने पर राशि रू. 500/– तथा पार्ट्स चोरी होने पर 1000 रू. प्रति बाईक/स्कूटी अनुसार पेनाल्टी लिया जावेगा। |
| 11 | तम्बाकु, गूटका, सिगरेट, शराब इत्यादि नशीले पदार्थों का सेवन करने पर। | सुरक्षा कर्मचारी द्वारा परिसर में किसी भी प्रकार का तम्बाकु /गूटका/सिगरेट/शराब इत्यादि नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है तो ऐसे कृत्य करते हुए पाये जाने पर<br>**प्रथम बार :** संबंधित कर्मचारी को सेवा से तत्काल हटाया जाना होगा तथा सेवा प्रदाता से राशि रू. 1000 प्रति कर्मचारी अनुसार जुर्माना लगाया जावेगा।<br>**द्वितीय बारः** संबंधित कर्मचारी को सेवा से तत्काल हटाया जाना |

| | | |
|---|---|---|
| | | होगा तथा सेवा प्रदाता से राशि रू. 2000 प्रति कर्मचारी अनुसार जुर्माना लगाया जावेगा। **तृतीय बारः** संबंधित कर्मचारी को सेवा से तत्काल हटाया जाना होगा तथा सेवा प्रदाता से राशि रू. 5000 प्रति कर्मचारी अनुसार जुर्माना लगाया जावेगा। |
| 12 | सेवा प्रदाता के अधिकृत सुपरवाईजर को एल्कोहल ब्रिथिंग एनालाईजर मशीन उपलब्ध नहीं कराने पर । | **प्रथम बार :** सेवा प्रदाता से राशि रू. 100 जुर्माना लिया जावेगा। **द्वितीय बारः** सेवा प्रदाता से राशि रू. 200 जुर्माना लिया जावेगा। **तृतीय बारः** संबंधित सुरक्षाकर्मी को सेवा से तत्काल हटाया जाना होगा तथा सेवा प्रदाता से राशि रू. 5000 जुर्माना लिया जावेगा। |
| 13 | सेवा प्रदाता द्वारा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में देरी। | सेवा आदेश जारी होने के 02 सप्ताह के भीतर तैनाती शुरू हो जाएगी। **प्रथम बार :** यदि आदेश देने के 02 सप्ताह के पश्चात तैनाती की जाती है और बिलंब सेवा प्रदाता के कारण होती है तो अनुबंध के मूल्य का 1 प्रतिशत जुर्माना के रूप में लगाया जाएगा। (यदि क्रेता चाहे तो सेवा प्रदाता को किसी भी तरह के संदर्भ दिए बिना आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा) **द्वितीय बार :** यदि आदेश देने के 03 सप्ताह के पश्चात तैनाती की जाती है और बिलंब सेवा प्रदाता के कारण होती है तो अनुबंध के मूल्य का 2 प्रतिशत जुर्माना के रूप में लगाया जाएगा। **तृतीय बार :** यदि आदेश देने के 04 सप्ताह के पश्चात भी तैनाती नहीं की जाती है तो अनुबंध बिना किसी संदर्भ के समाप्त कर दिया जावेगा। |
| 14 | आवारा जानवरों के परिसर में प्रवेश को रोकने में विफल होने पर | **प्रथम बार :** सेवा प्रदाता से राशि रू. 100 जुर्माना लिया जावेगा। **द्वितीय बारः** सेवा प्रदाता से राशि रू. 200 जुर्माना लिया जावेगा। **तृतीय बारः** संबंधित सुरक्षाकर्मी को सेवा से तत्काल हटाया जाना होगा तथा सेवा प्रदाता से राशि रू. 5000 जुर्माना लिया जावेगा। |
| 15 | यदि सर्विस प्रदाता द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मी द्वारा इस संस्थान चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रायपुर(छ.ग.) के अधिकारी–कर्मचारी, छात्र– छात्राऍं तथा मरीज एवं परीजन तथा सर्विस प्रदाता द्वारा तैनात अन्य कर्मचारी से किसी भी तरह से दुर्व्यवहार या हिंसक व्यवहार किया जाता है। | **प्रथम बार :** संबंधित सुरक्षाकर्मी को तत्काल हटाया जाना होगा तथा सेवा प्रदाता पर राशि रू. 500 का जुर्माना लगाया जावेगा। **द्वितीय बार :** संबंधित सुरक्षा कर्मी को तत्काल हटाया जाना होगा तथा सेवा प्रदाता पर राशि रू. 1000 का जुर्माना लगाया जावेगा। **तृतीय बार :** संबंधित सुरक्षाकर्मी को तत्काल हटाया जाना होगा तथा सेवा प्रदाता पर राशि रू. 5000 का जुर्माना लगाया जावेगा। |
| 16 | यदि सुरक्षा कर्मी के पास आई.डी. कार्ड/पहचान पत्र नहीं मिला एवं उचित वर्दी में नहीं पाया गया। | **प्रथम बार :** संबंधित सुरक्षा कर्मी के 01 दिवस के वेतन की कटौती की जावेगी तथा सेवा प्रदाता पर राशि रू. 500 का जुर्माना लगाया जावेगा। **द्वितीय बार :** संबंधित सुरक्षा कर्मी के 01 दिवस के वेतन की कटौती की जावेगी तथा सेवा प्रदाता पर राशि रू. 1000 का जुर्माना लगाया जावेगा। **तृतीय बार :** संबंधित सुरक्षा कर्मी के एक दिन का वेतन की कटौती की जावेगी तथा सेवा प्रदाता पर राशि रू. 2500 का जुर्माना लगाया जावेगा। |
| 17 | सुरक्षाकर्मियों का कार्यस्थल पर शराब पीने/सोने में लिप्त होना। | **प्रथम बार :** सुरक्षा कर्मी को तत्काल हटाया जाना होगा तथा संबंधित सुरक्षा कर्मी का 01 दिवस के वेतन कटौती की जावेगी तथा सेवा प्रदाता पर राशि रू. 1000 जुर्माना लगाया जावेगा। **द्वितीय बार :** सुरक्षा कर्मी को तत्काल हटाया जाना होगा तथा संबंधित सुरक्षा कर्मी का 01 दिवस के वेतन कटौती की जावेगी तथा सेवा प्रदाता पर राशि रू. 2500 जुर्माना लगाया जावेगा। **तृतीय बार :** सुरक्षा कर्मी को तत्काल हटाया जाना होगा तथा संबंधित सुरक्षा कर्मी का 01 दिवस के वेतन कटौती की जावेगी तथा सेवा प्रदाता पर राशि रू. 5000 जुर्माना लगाया जावेगा। |
| 18 | यदि सेवा प्रदाता द्वारा तैनात सुरक्षा | **प्रथम बार :** सेवा प्रदाता से संबंधित सुरक्षा कर्मी के वेतन के बराबर |

| | | |
|---|---|---|
| | कर्मचारी अनुपस्थित है, या बिना पूर्वानुमति लिए अवकाश ले लेता है और यदि सेवा प्रदाता द्वारा अनुपस्थित कर्मचारी के विरूद्ध कोई अन्य कर्मचारी नियुक्त करने में विफल रहता है। | जुर्माना लिया जावेगा तथा साथ ही राशि रू. 500 वसूली जाएगी।<br>**द्वितीय बार :** सेवा प्रदाता से संबंधित सुरक्षा कर्मी के वेतन के दोगुना के बराबर जुर्माना लिया जाएगा तथा साथ ही राशि रू. 500 वसूली जाएगी।<br>**तृतीय बार :** सेवा प्रदाता से संबंधित सुरक्षा कर्मी के वेतन के दोगुना के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा तथा साथ ही राशि रू. 1000 वसूली जाएगी। |
| 19 | सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक किसी भी लाइसेंस जैसे PSARA की आदि की समाप्ति की स्थिति में। | अनुबंध की समाप्ति मान्य कर आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। |
| 20 | क्रेता द्वारा सेवा प्रदाता को समय पर भुगतान ना होने की स्थिति में भी सेवा प्रदाता द्वारा अपने नियोजित सुरक्षा कर्मी के पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का भुगतान माह के प्रथम 07 दिवस के भीतर करना अनिवार्य है, भुगतान ना होने की स्थिति में। | 1. आगामी 07 दिवस तक भुगतान नही करने पर राशि रू. 10,000.00 प्रति घटना अनुसार जुर्माना लिया जावेगा।<br>2. आगामी 15 दिवस तक भुगतान नहीं करने पर राशि रू. 20,000.00 प्रति घटना अनुसार जुर्माना लिया जावेगा।<br>3. आगामी 21 दिवस तक भुगतान नहीं करने पर राशि रू. 40,000.00 प्रति घटना अनुसार जुर्माना लिया जावेगा।<br>4. आगामी 30 दिवस तक भुगतान नहीं करने पर राशि रू. 80,000.00 प्रति घटना अनुसार जुर्माना लिया जावेगा। |
| 21 | न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम आदि जो समय-समय पर लागू हो, सेवाओं के लिए लागू होंगे का उल्लंघन करने या पालन नहीं होने पर। | राशि रू. 5000 का जुर्माना लगाया जावेगा तथा समस्त जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी। |
| 22 | सुरक्षाकर्मी द्वारा कार्य-स्थल पर मोबाईल फोन का उपयोग (अतिआवश्यक, अपरिहार्य एवं संक्षिप्त स्थिति को छोड़कर) करने पर | सेवा प्रदाता से राशि रू. 500 प्रति घटना के आधार पर जुर्माना लिया जावेगा एवं संबंधित सुरक्षाकर्मी को तत्काल सेवा से हटाया जाना होगा। |
| 23 | संचयी जुर्माना (Cumulative Penalty) | संचयी जुर्माना कुल अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और यह राशि इससे अधिक है तो अनुबंध रद्द किया जा सकता है। |

77. सफल निविदादाता द्वारा दी जाने वाली सेवाऍ के विरूद्ध प्रस्तुत देयक भुगतान की गणना का विवरण निम्नानुसार किया जावेगा :-

1. **न्यूनतम मजदूरी/पारिश्रमिक :-** कार्यालय श्रमायुक्त जिला-रायपुर छ.ग. द्वारा निर्धारित "जोन 'अ' " एवं श्रमिकों के वर्ग अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुसार न्यूनतम मासिक वेतन/मजदूरी देय होगा तथा समय-समय पर जारी पुनरीक्षित आदेश अनुसार वेतन/मजदूरी देय होगा।
2. ई.पी.एफ. :- वर्तमान दर 12 प्रतिशत (नियोक्ता का अंशदान) एवं समय-समय पर शासन द्वारा लागू दर अनुसार देय होगा।
3. ई.डी.एल.आई. :- वर्तमान दर 0.5 प्रतिशत एवं समय-समय पर शासन द्वारा लागू दर अनुसार देय होगा।
4. ई.पी.एफ. एडमिन चार्ज :- वर्तमान दर 0.5 प्रतिशत एवं समय-समय पर शासन द्वारा लागू दर अनुसार देय होगा।
5. ई.एस.आई. :- वर्तमान दर 3.25 प्रतिशत (नियोक्ता का अंशदान) एवं समय-समय पर शासन द्वारा लागू दर अनुसार देय होगा।
6. जी.एस.टी. :- शासकीय नियमानुसार एवं समय-समय पर शासन द्वारा लागू दर अनुसार देय होगा।
7. सर्विस चार्ज :- न्यूनतम दर प्रदायकर्ता फर्म द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत सर्विस चार्ज अनुसार देय होगा।

78. सफल निविदादाता को "शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर" (छ.ग.)" में सुरक्षा सेवाऍं हेतु जारी कार्य–आदेश के पूर्व "दर/कार्य अनुबंध" राशि रू. 100 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से अभिप्रमाणित कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

79. सेवा प्रदाता द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मचारी की शारीरिक मापदण्ड एवं योग्यता निम्नानुसार होना अनिवार्य है–

**A. सुरक्षा गार्ड के लिए निर्धारित योग्यता :–**

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– 10 वीं उत्तीर्ण
2. न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधीकतम 50 वर्ष।
3. PSARA अधिनियम अनुसार शारीरिक मापदण्ड एवं चिकित्सा फिटनेश होना अनिवार्य है।

**B. सुरक्षा सुपरवाईजर के लिए निर्धारित योग्यता :–**

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– 10 वीं उत्तीर्ण
2. न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधीकतम 50 वर्ष।
3. PSARA अधिनियम अनुसार शारीरिक मापदण्ड एवं चिकित्सा फिटनेश होना अनिवार्य है।

उपरोक्तानुसार योग्यता के साथ सुरक्षा कर्मचारी को शारीरिक एवं मानसीक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है, मिर्गी, तपेदिक, एच.आई.व्ही./एड्स, टी.व्ही या अन्य किसी संक्रामक रोग जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित नहीं होना चाहिए तथा कानूनी रूप से किसी भी प्रकार का सजा या अभियोग का पिछला रिकार्ड नहीं होना चाहिए एवं सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन होना अनिवार्य है।

**80. सेवा प्रदाता द्वारा तैनात की जाने सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाईजर के कर्तव्य एवं दायित्व :–**

1. प्राचार्य, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.), बालक–बालिका छात्रावास, आवासीय परिसर एवं संस्थान की आवश्यकतानुसार अन्य स्थानों की सुरक्षा एवं महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के अधिकारी– कर्मचारी, छात्र–छात्राओं, मरीजों और उनके परिजनों की चल अचल संपत्तियों, सामग्रियों की सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे 24x7 सुरक्षा सेवाऍं प्रदान करना है।
2. सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर को कर्तव्य के दौरान उचित एवं साफ–सुथरे वर्दी धारण करना अनिवार्य है।
3. किसी भी अजनबी को बिना किसी कारण के चिकित्सालय एवं महाविद्यालय में प्रवेश नहीं करने देना है।
4. महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के समस्त अधिकारी–कर्मचारी एवं वरिष्ठ व्यक्तियों से विनम्रता एवं शिष्टापूर्वक व्यवहार करेगा एवं अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क एवं निष्ठावान होगा।
5. सुरक्षा कर्मी अपने कर्तव्य स्थल को तब तक नही छोड़ेगा जब तक उसका वैकल्पिक/द्वितीय पाली का सुरक्षा गार्ड उस स्थल पर उपस्थित ना हो।
6. महाविद्यालयीन एवं चिकित्सालयीन सम्पत्ति/सामग्री को, गेट पास/उचित या वैध दस्तावेजों के अभाव में बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दिया जाना है। तत्संबंध में महाविद्यालय, चिकित्सालय के अधीनस्थ संबंधित विभाग/शाखा से संपर्क करना अनिवार्य होगा साथ ही किसी भी वर्जित वस्तु को अंदर लाने की अनुमति नहीं दिया जाना है।
7. सुरक्षा कर्मी अपने कर्त्तव्य के दौरान यह निरंतर देखेगा, कि सेवा प्रदाता का कोई सुरक्षा कर्मी, महाविद्यालय प्रबंधन अथवा कोई बाहरी व्यक्ति शराब के नशे में तो नहीं है, यदि उसकी हरकतें आपत्तिजनक प्रतीत होती हैं, तो तत्काल सुपरवाईजर एवं प्रभारी अधिकारी को सूचित कर एल्कोहल ब्रिथिंग एनालाईजर मशीन से जांच कर चिकित्सालय/महाविद्यालय एवं शासकीय कार्य में व्यवस्था बनाये रखने का कार्य करेगा।
8. कर्तव्य के दौरान आवश्यकतानुसार कार्यालय के लाईट, पंखा, दरवाजा, खिड़की इत्यादि को बंद करना अनिवार्य होगा।
9. वाहनों एवं आगुंतको के आवाजाही हेतु रजिस्टर का संधारण करना अनिवार्य होगा।
10. अधिकारी, कर्मचारी, मरीज, अटेंडेंट, स्टाफ, छात्र–छात्राओं से दुर्व्यहार एवं अनावश्यक वाद–विवाद नहीं करेगा अन्यथा ऐसे मामलो पर संबंधित सुरक्षा कर्मी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जावेगा जिसके लिए सेवा प्रदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
11. सुरक्षा कर्मी को अग्निशमन यंत्र का उपयोग हेतु प्रशिक्षित होना अनिवार्य है तथा जरूरतमंदों की हर संभव मदद करना अनिवार्य होगा।

12.सुरक्षाकर्मी द्वारा परिसर महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर में स्थित अधिकारी, कर्मचारी, छात्र–छात्राऐं, मरीज एवं परीजन की सुरक्षा एवं उनके सामग्री की चोरी, सेंधमारी, आग आदि से सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य है।

13.प्रवेश एवं निकास बिंदुओं की भौतिक सुरक्षा, कार्यालयीन समय के दौरान और पश्चात में आगंतुकों की तलाशी/जांच/स्क्रीनिंग/निर्देशन के लिए जिम्मेदार होगा। सामान्य और विशेष अवसरों के दौरान आगंतुक प्रबंधन करना तथा आगंतुकों को संबंधित अधिकारियों/रहने वाले के पास ले जाने/जाने हेतु मार्गदर्शन करना, परिसर के अंदर और बाहर व्यक्तियों/वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करना और अवांछित आगंतुकों/सेल्स मैन के प्रवेश को विनियमित करना और आगंतुक रजिस्टर का रखरखाव करना और अवांछित आगंतुकों/सेल्स मैन के प्रवेश को विनियमित करना और नियंत्रित करना अनिवार्य है।

14. गेट पास की जांच कर, सामग्री के प्रवेश और निकास की अनुमति देना और तदनुसार वाहनों के प्रवेश और निकास को विनियमित करना। महाविद्यालय एवं चिकित्सालय द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देश अनुसार उचित जांच के साथ लोगों और सामग्री/वाहनों आदि के अंदर और बाहर की आवाजाही का रिकार्ड बनाए रखा जाना चाहिए।

15. पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सामान्य क्षेत्रों और आस–पास की जगहों पर गश्त और रखवाली करना। आवारा जानवरों को परिसर में प्रवेश को रोकना एवं संपूर्ण परिसर की चौबीसों घण्टे गश्त करना एवं बूम बैरियर और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की चौबीसों घण्टे निगरानी करना अनिवार्य है।

16.आपातकालीन परिस्थिति में इमारत से सुरक्षित रूप से लोगों को निकालने में सहायता करना, दुर्घटना और बम धमकियों जैसे संकट प्रबंधन के दौरान प्रभावी भागीदारी, आपात स्थितियों के लिए लगातार अभ्यास में शामिल होना।

17. लिफ्ट में फंसे यात्रियों को बचाने एवं किसी दुर्घना या मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों एवं परिजन की हरसंभव मदद करना।

18.सेवा प्रदाता द्वारा तैनात सुरक्षाकर्मी को अग्निशमन यंत्र का उपयोग हेतु प्रशिक्षित होना अनिवार्य है, ताकि आग लगने पर बचाव कार्य किया जा सके।

19. आपदा और आपात स्थिति के मामले में उपयुक्त एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखे और ऐसी सभी एजेंसियों के साथ उत्कृष्ट संपर्क बनाए रखना होगा।

<u>निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :–</u>

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रायपुर में सुरक्षा सेवाऍ हेतु **जेम पोर्टल के द्वारा** निविदा प्रस्ताव Two Packet Bid पद्धति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है। प्रथम पैकेट तकनीकी बीड का होगा, जिसमें अर्हता एवं तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होगा तथा द्वितीय पैकेट फाईनेंसियल बिड का होगा, जिसमें सुरक्षा सेवाऍ हेतु दर प्रस्तुत किया जाना है।

**(01) <u>प्रथम पैकेट तकनीकी बिड के अंतर्गत निम्नानुसार तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होगा</u> –**

1. **अमानत राशि** :– निविदा के अंतर्गत प्री–क्वालिफिकेशन दस्तावेजों के साथ अमानत राशि रू. **02 लाख** की डिमांड ड्राफ्ट, "प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)" के नाम पर हो एवं जो भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंक से जारी किया गया हो, तैयार कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत अमानत राशि रोककर शेष असफल निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अमानत राशि 01 माह में वापस कर दिया जावेगा।
2. सेवा प्रदाता के पास छत्तीसगढ़ राज्य से निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम 2005 (पीएसएआरए) के तहत वैध जीवित लाइसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एवं छत्तीसगढ़ रायपुर में स्थानीय कार्यालय का होना अनिवार्य है ।
3. सेवा प्रदाता फर्म/कंपनी/एजेंसी का ई.पी.एफ. और ई.एस.आई.सी. वैध पंजीयन होना अनिवार्य है तत्संबंध में प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान का सील मुहर सहित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4. सेवा प्रदाता फर्म/कंपनी/एजेंसी का छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में कार्यालय होना अनिवार्य है, कार्यालय न होने की स्थिति में कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर रायपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत स्वयं का कार्यालय स्थापित करना अनिवार्य होगा जिसका पूर्ण पता संस्था को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। तत्संबंध में वैद्य दस्तावेज (गुमास्ता) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. फर्म/प्रोपराईटर का पैन कार्ड तथा Assessment Year 2024–25 का आयकर रिटर्न/कर समाशोधन प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान के सील मुहर सहित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं नवीनतम जी.एस.टी. रिटर्न फाईल की स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान के सील मुहर सहित छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
7. विगत 03 वित्तीय वर्षो का औसत वार्षिक टर्न–ओवर प्रमाण पत्र जो न्यूनतम **1.00 करोड़** का हो एवं **अनुलग्न–02** प्रारूप में चार्टेड एकाउंटेड से अभिप्रमाणित सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8. निविदादाता के पास, सुरक्षा संबंधी कार्य/सेवा का अनुभव की गणना हेतु, शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम/ निगम/ मण्डल/ बोर्ड/आयोग/विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थान में प्रतिमाह न्यूनतम 25 या अधिक सुरक्षा कर्मी की सफलतापूर्वक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। तत्संबंध में सक्षम प्राधिकारी/संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं कार्य–आदेश की छायाप्रति सेवा प्रदाता के स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान का सील मुहर अंकित सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (नोट : यदि एक ही संस्थान में न्यूनतम 25 सुरक्षाकर्मी सहित अनुभव नहीं होने पर 02 संस्थान में 30 सुरक्षाकर्मी के नियोजन संबंधित प्रस्तुत अनुभव को मान्य किया जा सकता है।)
9. सेवा प्रदाता पिछले वित्तीय वर्षों में केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है एवं फर्म के विरूद्ध किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया लंबित नहीं है एवं इस कार्यालय द्वारा निर्धारित समस्त नियम एवं शर्तों तथा जेम पोर्टल के निर्धारित नियम एवं शर्तों को स्वीकार एवं पालन करेगा के संबंध में राशि रू. 100 के स्टाम्प पर नोटरी से अभिप्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (अनुलग्नक– 04)

**(02) द्वितीय पैकेट फाईनेंसियल बिड में निम्नानुसार नियम शर्त के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना है।**

1. सुरक्षा सेवाएँ हेतु विभिन्न वर्ग के लिए न्यूनतम मासिक मजदूरी/वेतन भुगतान कार्यालय, श्रमायुक्त जिला–रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित " जोन 'अ' " एवं श्रमिकों के वर्ग अनुसार देय होगा, जिसका पुनरीक्षण समय–समय पर कार्यालय, श्रमायुक्त जिला–रायपुर छ.ग. द्वारा जारी आदेशों के अधीन होगा तथा उक्त दर पर शासकीय नियमानुसार एवं शासन द्वारा प्रचलित समय–समय पर संशोधित आदेशानुसार ईपीएफ, ईएसआईसी, ईडीएलई, ईपीएफ एडमिन चार्ज का भुगतान किया जावेगा।
2. ऑपरेशनल/सर्विस चार्ज प्रति व्यक्ति प्रति दिवस अनुसार प्रतिशत में प्रस्तुत दर अनुसार देय होगा।
3. ऑपरेशनल चार्ज, में कर्मचारियों को दिए जाने वाले अवकाश वेतन, वर्दी, किट, बीमा एवं निविदाकर्ता का लाभांश इत्यादि जो भी लागू हो शामिल होगा।
4. सफल सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत देयकों के भुगतान की गणना निम्न प्रारूप अनुसार किया जावेगा –

| S.No. | Particular | Minimum Wages (As per Norms) (Per Person Per Day Basis) | EPF (As per Norms) | EDLI (As per Norms) | EPF Admin Charge (As per Norms) | ESIC (As per Norms) | Operation Charge (Per Person Per Day) (In Percentage | GST (As Per Govt. Norms) | Total (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *01* | *02* | *03* | *04* | *05* | *06* | *07* | *08* | *09* | *10* |
| 01 | सुरक्षा गार्ड (अर्द्धकुशल) | श्रमायुक्त जिला– रायपुरछ.ग. द्वारा निर्धारित "जोन 'अ' " एवं श्रमिकों के वर्ग अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति दिवस अनुसार न्यूनतम मासिक वेतन/मजदूरी देय होगा तथा समय–समय पर जारी पुनरीक्षित आदेश अनुसार वेतन/मजदूरी देय होगा। | शासकीय नियमानुसार एवं समय–समय पर शासन द्वारा लागू दर अनुसार देय होगा। | | | | श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर एवं उस पर ईपीएफ, ईडीएलआई, ईपीएफ एडमिन चार्ज, इएसआईसी, सहित कुल दर पर प्रस्तुत न्यूनतम ऑपरेशनल चार्ज अनुसार देय होगा। | शासकीय नियमानुसार भुगतान किया जावेगा। | |
| 02 | सुरक्षा सुपरवाईजर (कुशल) | | | | | | | | |

Digitally signed by
Dr Virendra Vadher
Date: 18-11-2025
15:35:19

अधिष्ठाता
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

(13)

## अनुलग्न : 01

### शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में सुरक्षा सेवाऐं हेतु सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर की आवश्यकता का विवरण :

| क्रमांक | विभाग/शाखा/फलोर | संख्या | | | | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रथम पाली | द्वितीय पाली | तृतीय पाली | कुल संख्या | |
| | | प्रातः 8 से दोपहर 4 बजे | दोपहर 4 से रात्रि 12 बजे | रात्रि 12 बजे से प्रातः 8 बजे | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सुरक्षा गार्ड का विवरण :– | | | | | | |
| 1 | ग्राउंड फ्लोर | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | फर्स्ट फ्लोर | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | सेकंड फ्लोर | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | थर्ड फ्लोर | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | ओ.पी.डी. गेट नंबर 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 5 | कॉलेज गेट नंबर 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| 7 | 108 गेट | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 8 | बालक छात्रावास | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 9 | मेस के सामने | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | बालिका छात्रावास | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 11 | स्टाफ आवासीय परिसर (A) Block, (B) Block | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 12 | प्राचार्य एवं कार्यालय ब्लॉक | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 12 | लाईब्रेरी | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| | कुल सुरक्षा गार्ड – | 38 | 25 | 14 | 77 | |
| सुपरवाईजर का विवरण: – | | | | | | |
| 1 | सुरक्षा सुपरवाईजर | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| | कुल सुपरवाईजर – | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| | | | | महायोग– | 80 | |

नोटः सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाईजर की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। इस सूची में दर्शाया गया फ्लोरवार एवं पालीवार विवरण आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय है। सुरक्षा सुपरवाईजरों एवं सुरक्षा गार्ड को अपने कर्तव्यों के दौरान सौंपे गये स्थल एवं महाविद्यालय परिसर का परिभ्रमण करना आवश्यक होगा ।

(14)

# अनुलग्न : 02

**On the letter pad of Chartered Accountant**

This is to certify that the total turnover in the case of M/s.................................................................... having PAN ....................................................... is as under:

| Financial Year/Period | Amount in Rupees (Figures) | Amount in Rupees (words) |
|---|---|---|
| 2022-23 | | |
| 2023-24 | | |
| 2024-25 | | |
| **Total** | | |

**Average= Total/3**

It is further certified that the above mentioned amounts have been derived from the books of accounts presented before us for the above mentioned periods.

**Chartered Accountants**

(15)

कर्मचारी का
नवीनतम
पासपोर्ट साईज
फोटो
स्वहस्ताक्षरित

# अनुलग्न : 03

## बायोडाटा

1. कर्मचारी का नाम :
   (हिन्दी) ..............................
   (अंग्रेजी) ..............................
2. पिता का नाम : ..............................
3. माता का नाम : ..............................
4. जन्म तिथि : ..............................
5. कर्मचारी का उम्र : ..............................
6. कर्मचारी की ऊंचाई : ..............................
7. कर्मचारी का पद नाम :..............................
8. कर्मचारी का मोबाईल नम्बर :..............................
9. आधार नम्बर : ..............................
10. कर्मचारी का ई.पी.एफ. क्रमांक :..............................
11. कर्मचारी का ई.एस.आई.सी. क्रमांक :..............................
12. कर्मचारी का बैंक खाता क्रमांक :..............................
13. कर्मचारी का वर्तमान पता : ..............................
    ..............................
    ..............................
14. कर्मचारी का स्थायी पता : ..............................
    ..............................
    ..............................
15. कर्मचारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र :..............................
16. कर्मचारी का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र : ..............................
17. कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता : ..............................

(समस्त दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है)

निविदादाता का हस्ताक्षर
संस्थान का सील/मोहर सहित

कर्मचारी का हस्ताक्षर

(16)

16

## अनुलग्न : 04

## शपथ – पत्र

**(रूपये 100/–नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर)**

मैं ..........................................................जो कि फर्म................................................................................ ....................................पता.................................................................................................................राज्य.............के प्रोपराईटर (कंपनी/फर्म के हैसियत) है और फर्म की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिये सक्षम है यह शपथ पत्र द्वारा शपथ पूर्वक यह प्रमाणित करते है कि कार्यालय प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा आमंत्रित निविदा/बिड सूचना क्रमांक.......................... दिनांक ........................सर्विस कार्य का नाम.......................................... के निविदा के बारे में प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ जो जानकारी एवं प्रमाण पत्र/अभिलेख/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है वह सत्य एवं सही है। एतद् संबंधी जानकारियों अभिलेखों एवं प्रमाण पत्रों की सत्यता के लिए मैं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूंगाः–

1. यह कि निविदा प्रपत्र में दी गई जानकारी तथा संलग्न किये गये समस्त दस्तावेज पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है।
2. यह कि मेरे –

   (अ) अमानत राशि तथा सुरक्षा निधि के रूप में तैयार डिमांड ड्राफ्ट/बैंक ड्रॉफटअन्य संबंधित दस्तावेज जो बैंक के द्वारा प्रदाय किये गये है वह संबंधित बैंक से प्रमाणित है।

   (ब) वित्तीय अर्हतायें एवं चार्टेड एकांउटेंट से सत्यापित वार्षिक टर्नओव्हर की जानकारी सही है।

   (स) विभिन्न भौतिक अर्हताओ की जानकारी सही है।
3. मैं भारत सरकार/अन्य राज्यों के राज्य सरकार/राज्य सरकार के किसी भी विभाग में काली सूची में सम्मिलित नहीं हूँ/है या डिबार नही किया गया हूं/है।
4. यह कि आपके विभाग/संस्था में मेरे/हमारी फर्म/कंपनी के सदस्यों का कोई निकट रिश्तेदार कार्यरत नहीं है।
5. यह कि मेरे/हमारे/फर्म के विरूद्ध कोई न्यायिक/ अपराधिक प्रकरण कही भी पंजीबद्ध नही है।
6. यह कि निविदा प्रपत्र में अंकित दर भारतीय रूपयों में है।
7. निविदा की समस्त नियम/शर्ते, जेम के सभी नियमों के साथ स्वीकार्य है।

नोटरी द्वारा सत्यपित

प्रो./फर्म
हस्ताक्षर मय सील

(17)

17